ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

सार्वजनिक सूचिा

प्र.का./पा.य .ोंनर्./2026 निााोंक 23.03.2026

डीजीएफटी की अनिसूचिा सोंख्या 65/2025-26 निााोंक 19.03.2026 के अिुसार
RELIEF घटक I, II और III के अोंतर्वत
िार्ा प्रस्तुत करिे के निए माि क सोंचाि िप्रनिया

1. भारत सरकार ने ननर्ाात संवर्ान निशन के अंतर्ात "RELIEF" (ननर्ाात सुनवर्ा हेतु लचीलापन और रसद हस्तक्षेप) की घोषणा की है, जो डीजीएफटी अनर्सूचना संख्या 65/2025-26 नदनांक 19.03.2026 के िाध्यि से खाडी और व्यापक पनि एनशर्ा सिुद्री र्नलर्ारे िें व्यवर्ानों के कारण िाल ढुलाई िें असार्ारण वृद्धि, बीिा प्रीनिर्ि िें वृद्धि और र्ुि संबंर्ी ननर्ाात जोद्धखिों से प्रभानवत भारतीर् ननर्ाातकों को सहार्ता प्रदान करने के नलए है। RELIEF हस्तक्षेपों को व्यवर्ान अवनर् के दौरान पहले से भेजे र्ए नशपिेंट के साथ-साथ प्रभानवत क्षेत्र िें ननर्ोनजत संभानवत ननर्ाातों को कवर करते हुए ननर्ाात चक्र िें सहार्ता प्रदान करने के नलए संरनचत नकर्ा र्र्ा है।

2. स्वीकृत ढांचे के तहत, भारत सरकार (वानणज्य एवं उद्योर् िंत्रालर्) के पूणा स्वानित्व वाली ईसीजीसी नलनिटेड (पूवा िें एक्सपोटा क्रेनडट र्ारंटी कॉपोरेशन ऑफ इंनडर्ा नलनिटेड) को सत्यापन, दावा प्रसंस्करण, नवतरण और ननर्रानी के नलए नोडल और कार्ाान्वर्न एजेंसी के रूप िें नानित नकर्ा र्र्ा है।

3. RELIEF हस्तक्षेपों का उद्देश्य प्रभानवत देशों िें र्ुि संबंर्ी जोद्धखिों और उनसे जुडे राजनीनतक जोद्धखिों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इसिें संर्ुक्त अरब अिीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, कुवैत, कतर, अिान, बहरीन, इराक, ईरान और र्िन जैसे देशों के नलए नडलीवरी र्ा ट्ांस-नशपिेंट हेतु भेजे जाने वाले फुल कंटेनर

लोड (एफसीएल), लेस दैन कंटेनर लोड (एलसीएल) र्ा रीफर कंटेनर (नाशवान िाल) वाले नशपिंट शानिल होंर्े। इन RELIEF हस्तक्षेपों के तहत सहार्ता बैक-टू-टाउन कार्ो िािलों पर लार्ू नहीं होर्ी।

4. सरकार के ननदेशों के अनुरूप, RELIEF हस्तक्षेपों के पररचालन संबंर्ी नववरण सभी नहतर्ारकों के नलए नीचे नदए ए हैं:

I. RELIEF घटक - I: ECGC के पहिे से बीनमत नियावतक ों के निए नियावत ऋण सहायता

(i) उन ननर्ाातकों के नलए नजन्ोंने पहले ही ECGC ऋण बीिा कवर प्राप्त कर नलर्ा है

(ii) कवर की अवनर् (14.2.2026 से 15.3.2026)

(iii) िौजूदा प्रीनिर्ि दरों पर 100% तक कवर प्रदान नकर्ा जाएर्ा

(iv) सरकार ECGC को उस रानश की प्रनतपूनता करेर्ी जो ECGC अपने पॉनलसीर्ारकों को ECGC के िौजूदा कवर के तहत सािान्य रूप से देर् रानश से अनर्क भुर्तान करेर्ी

II. RELIEF घटक - II: क्षेत्र में आर्ामी नियावत के निए नियावत ऋण सहायता हेतु ECGC करेंज क प्र त्सानहत और सुर्म बीिा

(i) ननर्ाातकों को ECGC के ऋण बीिा कवर का नवकल्प चुनने के नलए प्रोत्सानहत करना

(ii) कवर की अवनर् (16.3.2026 से 15.6.2026)

(iii) िौजूदा प्रीनिर्ि दरों पर 95% तक का कवर प्रदान नकर्ा जाएर्ा

(iv) सरकार ECGC को उस रानश की प्रनतपूनता करेर्ी जो ECGC अपने पॉनलसीर्ारकों को ECGC के िौजूदा कवर के तहत सािान्य रूप से देर् रानश से अनर्क भुर्तान करेर्ी

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

III. RELIEF घटक - III: पात्र र्ैर-ईसीजीसी-बीनमत एमएसएमई नियावतक े द्वारा र्हि नकए र्ए असाि◌ारण माि ढ◌ुि◌ाई और बीमा अनिभार के निए प्रनतपूनतव सहायता

(i) र्ैर-ईसीजीसी ग्राहकों और एिएसएिई ननर्ा◌ातकों के नलए

(ii) नशपिंट की अवनर् (14.2.2026 से 15.3.2026)

(iii) ननर्ा◌ातकों को अनतररक्त िाल ढुलाई और बीिा के 50% तक (सीआईएफ अनुबंर्ोंं के नलए) र्ा अनुबंनर्त एफओबी िूल्य और प्राप्त ननर्ा◌ात आर् के बीच असार्ारण अनर्भारों के कारण हुई किी के 50% तक की प्रनतपूनता प्रदान की जाएर्ी, जो िाल ढुलाई र्ा बीिा लार्त िेंं वृद्धि के कारण हुई हो। इसिें ननम्ननलद्धखत शानिल होंर्े:

(क) र्ुि जोद्धखि अनर्भार (डब्ल्यूआरएस)/आपातकालीन संघषा अनर्भार (ईसीएस) र्ा इसी तरह के शुल्क;

(ख) अनतररक्त र्ुि जोद्धखि प्रीनिर्ि (एडब्ल्यूआरपी);

(र्) सिुद्री िार्ा व्यवर्ानों से जुडे अनतररक्त संघषा-संबंनर्त नशनपंर् शुल्क; और,

(घ) िाल ढुलाई पर लार्ू अनतररक्त बीिा प्रीनिर्ि।

(iv) प्रत्येक आईईसी को दी जाने वाली कुल सहार्ता ननम्ननलद्धखत शतों के अर्ीन होर्ी:

(क) पात्र इनवॉइस के संबंर् िेंं ननर्ा◌ातक द्वारा हुई वास्तनवक हानन की सीिा,

(ख) ननर्ा◌ाररत दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण, और

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

(र्) इस घटक के अंतर्◌ात सभी पात्र खेपों के नलए प्रनत ननर्◌ा◌ातक ₹50 लाख की कुल सीि◌ा।

5. RELIEF घटक ◌ों के अ◌ोंतर्वत ि◌◌ार ◌् ि◌◌ाखखि◌ करि की प्रनिया

<u>ईसीजीसी पॉनिसीि◌◌ारक ◌ों के निए (RELIEF घटक I और II)</u>

- पॉनलसीर्◌ारकों को अपने ि◌◌ौजूदा लॉनर्न क्रेडेंनशर्ल का उपर्◌ोर् करके ईसीजीसी पोटाल www.ecgcltd.in पर साइन इन करना होर्◌ा।
- वे ि◌◌ौजूदा पॉनलसी दावा ि◌◌ॉड्यूल के ि◌◌ाध्यि से दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

<u>नियावतक ◌ों (र्ै◌र-ईसीजीसी पॉनिसीि◌◌ारक)◌ों के निए - (RELIEF घटक III)</u>

- ननर्◌ा◌ातकों (र्ै◌र-ईसीजीसी पॉनलसीर्◌ारकों) को पहले ईसीजीसी पोटाल www.ecgcltd.in पर पंजीकरण/साइन अप करना होर्◌ा और अपना र्◌ूजर आईडी और पासवडा बनाना होर्◌ा।
- साइन अप के दौरान, ननर्◌ा◌ातकों को ननर्◌ा◌ातक ग्राहक कोड बनाने और केवाईसी प्रनक्रर्◌ा पूरी करने के नलए कुछ नववरण (जैसे, आईईसी, पैन, उद्यिि◌, बैंक खाता नववरण) प्रदान करने होंर्◌े।
- इसके बाद, ननर्◌ा◌ातक पोटाल पर ि◌◌ॉड्यूल के ि◌◌ाध्यि से RELIEF घटक III के अंतर्◌ात दावे प्रस्तुत कर सकेंर्◌े।

ईसीजीसी कस्टिर पोटाल पर पंजीकरण र्◌ा दावा दाद्धखल करने के नलए अपनाई जाने वाली प्रनक्रर्◌ा के बारे ि◌◌ें ि◌◌ार्◌ादशान के नलए, ननर्◌ा◌ातक ननम्ननलद्धखत वीनडर्◌ो देख सकते हैं।

<u>पंजीकरण और RELIEF घटक - III के तहत दावा दाखिल करने के खलए:</u>

https://youtu.be/X2vtw9z-oQA?feature=shared

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

6. **<u>RELIEF घटक III के अ◌ो◌ंतर्वत ि◌◌ार्◌ा प्रस्तुत करते समय अपि ड/जमा नकए जा◌ि◌े र्◌ा◌ि◌े ि◌स्तार्◌ेज ◌ो◌ं की सूची</u>**

(ि◌ **ट** - प्रत्येक नशनपंर् नबल के नलए अलर् दावा दाद्धखल नकर्◌ा जाएर्◌ा)

(i) आर्◌ातक-ननर्◌ा◌ातक कोड (IEC) प्रिाणपत्र

(ii) MSME प्रिाणपत्र

(iii) क्रर् आदेश/अनुबंर्, र्नद कोई संशोर्न हो, सनहत

(iv) इनवॉइस और पैनकंर् सूची

(v) नशनपंर् नबल

(vi) ऑनबोडा नबल ऑफ लैनडंर् र्◌ा एर्रवे नबल

(vii) पररवहन और बीि◌◌ा इनवॉइस नजनिें "असार्◌ारण" अनर्भार तत्व स्पष्ट रूप से दशाार्◌ा र्◌ा हो, जैसे अनतररक्त र्◌ुि◌ जोद्धखि प्रीनिर्ि◌ (AWRP), र्◌ुि◌ जोद्धखि अनर्भार (WRS), आपातकालीन संघषा अनर्भार (ECS) र्◌ा इसी प्रकार के शुल्क, सिुद्री ि◌◌ार्◌ा व्यवर्◌ानों से संबंनर्त अनतररक्त संघषा-संबंर्◌ी नशनपंर् शुल्क; और कार्◌ो नशपिंट पर लार्◌ू अनतररक्त बीि◌◌ा प्रीनिर्ि◌।

(viii) उक्त "असार्◌ारण" अनर्भारों की कटौती के नलए क्रेता के साथ पत्राचार

(ix) नकए र्ए खचों के भुर्तान का प्रिाण

(x) ननर्◌ा◌ात आर् की प्राद्धप्त के नलए बैंक प्राद्धप्त प्रिाण पत्र

(xi) बैंक खाते का नववरण और रद्द नकए र्ए चेक की प्रनत

ि◌ ट – घटक I और II के नलए दस्तावेज, ऊपर उद्धिद्धखत दस्तावेजों के अनतररक्त, ECGC के दावा प्रपत्र ि◌े◌ं◌ सूचीबि अनुसार अपलोड/जिा नकए जाएंर्◌े। ऐसे सभी दावों की सिग्र रूप से जांच की जाएर्◌ी।

7. **RELIEF** घटकों के अंतर्◌ात दावों की प्रनतपूनता DGFT की अनर्सूचना संख्या 65/2025-26 नदनांक 19.03.2026 के अनुसार की जाएर्◌ी।

ग्राहक पोटाल ि◌े◌ं तकनीकी सहार्ता के नलए, कृपर्◌ा econnectivity@ecgc.in पर ईिेल करें। RELIEF से संबंनर्त नकसी भी सहार्ता के नलए, कृपर्◌ा RELIEF2026@ecgc.in पर ईिेल करें। आप हिारी ननकटति शाखा र्◌ा क्षेत्रीर् कार्◌ा◌ालर् से भी संपका कर सकते हैं - नववरण हिारी वेबसाइट www.ecgc.in पर प्रकानशत 'शाखा लोकेटर' ि◌े◌ं उपलब्ध हैं - https://main.ecgc.in/english/branch-offices/

****

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

<u>परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026</u>

<u>संदर्भ: सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026</u>

सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, जिसका विषय '***डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार RELIEF घटक I, II और III के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया'*** है, के अनुक्रम में, कृपया निम्नलिखित बातों पर अतिरिक्त रूप से ध्यान दें:

(i) RELIEF घटक-II के तहत, ऊर्जा शिपमेंट शामिल नहीं हैं।

(ii) RELIEF घटक-III के तहत, हवाई शिपमेंट शामिल नहीं हैं।

(iii) RELIEF हस्तक्षेपों के घटक I और II के तहत भुगतान किए गए अतिरिक्त दावों का, निर्यातकों को जारी की गई ईसीजीसी पॉलिसियों के तहत 'दावा-से-प्रीमियम अनुपात' (CPR) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, गैर-ईसीजीसी एमएसएमई निर्यातकों के लिए RELIEF हस्तक्षेप घटक-III के तहत प्रतिपूर्ति की गई राशियों को, भविष्य में निर्यातकों द्वारा ईसीजीसी से प्राप्त की जाने वाली किसी भी पॉलिसी(यों) में CPR की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

****

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

परिशिष्ट - 2 दिनांक 22.04.2026

संदर्भ: सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026 व परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026

सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, जिसका विषय '***डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार RELIEF घटक I, II और III के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया'*** है और परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026 के अनुक्रम में, कृपया निम्नलिखित बातों पर अतिरिक्त रूप से ध्यान दें:

(i) विभिन्न RELIEF घटकों के तहत कवरेज के लिए अधिसूचित देशों के अलावा, जैसा कि 23.03.2026 की सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 में बताया गया है, **इजिप्ट** और **जॉर्डन** में डिलीवरी या ट्रांस-शिपमेंट के लिए भेजी जाने वाली शिपमेंट को भी तीनों RELIEF घटकों के तहत कवरेज में शामिल किया जाएगा।

(ii) उन निर्यातकों के अलावा जो नई स्टैंडअलोन पॉलिसियों का लाभ उठाते हैं, RELIEF घटक II के तहत लाभ उन निर्यातकों को भी उपलब्ध होगा जो 16 मार्च, 2026 को या उसके बाद नई संपूर्ण-पण्यावर्त पॉलिसियों का लाभ उठाते हैं।

****